मीरजापुर पुलिस

—प्रेस नोट—

दिनांकः15.11.2025

थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा अनुमानित अंतराष्ट्रीय कीमत 30 लाख के अवैध गांजा व तस्करी में प्रयुक्त वाहन (हुण्डई वरना कार) के साथ 01 अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर गिरफ्तार—

"सोमेन बर्मा" वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मीरजापुर द्वारा जनपद में शांति एवं कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखने हेतु अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों की धरपकड़ , अवैध शराब एवं मादक पदार्थों की निर्माण/तस्करी व बिक्री पर अंकुश लगाते हुए संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी/बरामदगी एवं प्रभावी कार्यवाही करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षगण को निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों के विरूद्ध लगातार अभियान चलाकर की जा रही कार्यवाही में अपर पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी सदर के नेतृत्व में थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दिनांकः14.11.2025 को मुखबीर के सूचना के आधार थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा सघन वाहन चेकिंग कर हुण्डई वरना कार वाहन संख्याःWB 08 E 2508 में सवार 01 व्यक्ति को पकड़ा गया। पकड़े गये अभियुक्त द्वारा पूछताछ में अपना नाम-पतारजनीश द्विवेदी पुत्र सत्येन्द्र द्विवेदी उर्फ लालू निवासी जयनापुर थाना जलालपुर अम्बेडकर नगर बताया गया है। पुलिस टीम द्वारा उक्त हुण्डई वरना कार वाहन की तलाशी ली गयी तो कार में छिपाकर रखा हुआ कुल 69.512 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0सं0- 505/2025 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए मा0न्यायालय/जेल भेजा जा रहा है तथा गांजा तस्करी में प्रयुक्त हुण्डई वरना कार को अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट में सीज किया गया।

विवरण पूछताछ — पकड़े गये अभियुक्त द्वारा पूछताछ में बताया गया कि वे उड़ीसा से हुण्डई वरना कार वाहन में छिपाकर गांजा लाद कर अम्बेडकर नगर ले जा रहा था। जहां से मांग के अनुसार सप्लाई करते हैं। अभियुक्त द्वारा बताया गया कि प्रत्येक चक्कर सप्लाई का हमें 20 हजार रूपये प्राप्त होते है। प्राप्त पैसे से भौतिक सुख-सुविधाओं का लाभ लेते है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण—

1. रजनीश द्विवेदी पुत्र सत्येन्द्र द्विवेदी उर्फ लालू निवासी जयनापुर थाना जलालपुर अम्बेडकर नगर।

बरामदगी विवरण —

69.512 किलोग्राम अवैध गांजा (अनुमानित अंतराष्ट्रीय कीमत 30 लाख)

गांजा परिवहन में प्रयुक्त हुण्डई वरना कार वाहन संख्याःWB 08 E 2508

पंजीकृत अभियोग —

मु0अ0स0- 505/2025 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली देहात जनपद मीरजापुर।

आपराधिक इतिहास –(रजनीश द्विवेदी)-

मु0अ0स0-115/2025 धारा 115(2)/352/351(2) बी0एन0एस0 व ¾ डी0पी0 एक्ट थाना जलालपुर अम्बेडकर नगर।

गिरफ्तारी का स्थान दिनांक व समय —

थाना कोतवाली देहात क्षेत्रांतर्गत ग्राम समोगरा हाईवे सर्विस लेन के पास से, दिनांकः14.11.2025 को समय रात्रि 22.13 बजे ।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम —

उ0नि0 विनोद कुमार सिंह प्रभारी चौकी बरकछा थाना कोतवाली देहात मय पुलिस टीम जनपद मीरजापुर ।

****